(90)

...नीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

R. 5199-री/16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /16

10/ कमेटी

विलोपित / विलोपित

मो० यासीन पिता फुलैल वकस मुस० निवासी जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०) —आवेदक

बनाम

1- जुलेखा खातून पिता फुलैल वकस पत्नी अब्दुल हमीद मुस०

2-सुन्तुन निशा पिता फुलैल वकस पत्नी मो० इदरीश मुस०

3- बेबीनिशा पिता अजीमुल्ला पत्नी कुरानुददीन मुस० क्रमांक 1 ता 3 निवासी ग्राम जियावन तहसील देवसर जिला सिंगरौली

4- नब्यावानो पिता अजीमुल्ला पत्नी अहमदअली मुस० सा० देवगवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली ।

5- अनीशा वानी पिता अजीमुल्ला पत्नी अहमद अली सा० मोरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म०प्र० । अनावेदकगण

श्री आशीष पाण्डेय एड० द्वारा पेश/ 2-5-16

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू रा० सं० 1959 विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी उपखंड देवसर दिनांक 19-8-15 जो प्रकरण क्रमांक 131/अपील/14-15 में पारित । - - - - -

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 19-8-15 जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 की तरफ से नामान्तरण आदेश दिनांक 24-9-94 के विरुद्ध 21 वर्ष बाद दायर अवधि बाहय अपील को आवेदकगण की सुनवाई के बिना अन्दर म्याद होना मानकर के एवं धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियमके अधीन प्रस्तुतआवेदन पत्रको स्वीकार करके जो विधि प्रक्रिया का अनुशरण नहीं किया गया वह कार्यवाही आदेश कायम रखने योग्य नहीं है।

2- सन् 1994 में पारित नामान्तरण आदेश की अपील अनावेदकगणने करी व 21 वर्ष के अन्तर्राल में दायर किया गया अपील दायर करने के हुए विलम्ब को क्षमा करने का

(90)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5199-II/16 जिला सिंगरौली

मो० यासीन वक्स विरूद्ध जुलेखा खातून

1	2	3
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 131/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 19-08-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-3-2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	